

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चि.अ./ए-274/2025/51

दिनांक : 8/2/2025


प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक

सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय
जयपुर।

विषय:- डा0 आशा लता वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के वेतन वृद्धियों के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि डॉ.आशा लता, चिकित्सा अधिकारी के पीजी उपरान्त अग्रिम वेतन वृद्धियों के संबंध में प्रकरण का वित्तीय सलाहाकार से प्रशिक्षण करवाया गया। अतः इस संबंध में अवगत करावें कि आप द्वारा स्वीकृत अग्रिम वेतन वृद्धियां वित्त विभाग के किस नियम/अधिसूचना के आधार पर स्वीकृत कि गई है।

अतः चिकित्सक का उक्त अवधी का द्वारा स्वीकृत अग्रिम वेतन वृद्धियां वित्त विभाग के किस नियम/अधिसूचना के आधार पर स्वीकृत रिपोर्ट/दस्तावेजों के निदेशालय को भिजवाने का श्रम करे।



अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

दिनांक :

क्रमांक : ई/चि.अ./ए-274/2025/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज० जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर
3. डा0 आशा लता वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी द्वारा उनके नियन्त्रण अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करें।
5. आदेश/निजी पत्रावली।


अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।